तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2018	सरकारी पैरोकार उपस्थित। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प रायपुर में प्रस्तुत हुई। तहसीलदार रायपुर जिस नामान्तरकरण का रेफरेन्स कराने का अनुतोष चाहा है, वह नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी के आदेश से दायर किया गया है तथा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी के आदेश की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली	